



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 204 राँची, गुरुवार, 10 वैशाख, 1948 (श०)
30 अप्रैल, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

आदेश
20 अप्रैल, 2026

आ०सं० :- 4/ न्यायालय-01/2021 का. 2327--श्री प्रेम शंकर प्रसाद, तत्कालीन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध पान-तांति जाति, अनुसूचित जाति का गलत जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने, उक्त का सेवापुस्त में दर्ज कराने एवं उक्त के आधार पर गलत संवर्गीय प्रोन्नति प्राप्त करने का प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेश संख्या-4965 दिनांक-29.08.2002 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-206 दिनांक-23.07.2010 द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- (i) श्री प्रसाद को "एक वेतन वृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड" अधिरोपित करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।
- (ii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि मानते हुए आक्षी उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची द्वारा पान (तांती), अनुसूचित जाति श्रेणी की प्रविष्टि सेवापुस्त में करने संबंधी क्षेत्रादेश संख्या-342 दिनांक-23.04.1992 को रद्द किया जाता है। श्री प्रसाद तत्वा जाति, अत्यंत पिछड़ा के सदस्य हैं।

- (iii) श्री प्रसाद द्वारा कंडिका-10 में संदर्भित गलत ढंग से प्राप्त प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त अधिक वेतन/राशि को देय मासिक वेतन से आसान किस्तों में वसूली का आदेश संबंधित प्रशासी विभाग को दिया जाता है ।

2. श्री प्रसाद द्वारा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-206 दिनांक- 23.07.2010 द्वारा अधिरोपित शास्ति के विरुद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या WP(S) No.-1001/2009-प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दिनांक-18.12.2020 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:

“.....9. In view of the aforesaid discussions and findings, the impugned order deserves to be quashed and set aside.

Consequently, order as contained in Memo No. 206 dated 23.07.2010, is hereby, quashed and set aside. The respondents are at liberty to pass a fresh order by considering the grounds taken by the petitioner in his reply to the second show cause notice and by ignoring/excluding the letter of District Officer, Saran, Chapra issued under letter no. 442 dated 22.05.2010, as the same was not part and parcel of the Charge Sheet and/or of the departmental proceedings and was also issued behind the back of the petitioner. It is made clear that since the matter is very old, if the department chooses to proceed and pass a fresh order then the same shall be passed within a period of four months from the date of receipt/production of copy of this order, failing which the petitioner shall be entitled for all consequential benefits which was withheld pursuant to the Impugned Order (Annexure-27).”

3. माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में वादी श्री प्रेम शंकर प्रसाद द्वारा दिनांक-30.12.2020 को एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा दिनांक-04.02.2006 को उपलब्ध कराये गये द्वितीय कारण पृच्छा को संदर्भित करते हुए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया ।

4. पूर्व में श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय ज्ञाप संख्या-370 दिनांक-19.01.2006 द्वारा श्री प्रसाद से कारणपृच्छा की गई थी, जिसके आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-04.02.2006 को कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया था ।

5. श्री प्रसाद द्वारा दिये गये आवेदन एवं दिनांक-04.02.2006 को समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत सभी तथ्यों को अंकित करते हुए विभागीय पत्रांक-2059 दिनांक-31.03.2021 द्वारा श्री प्रसाद से प्रमाणित आरोपों एवं उनके आचरण को दृष्टिपथ रखते हुए उनके विरुद्ध निर्धारित दण्ड को उनपर क्यों नहीं अधिरोपित की जाय के संबंध में उनसे कारणपृच्छा की गई ।

उक्त के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-13.04.2021 को विभाग में कारण पृच्छा समर्पित किया गया ।

6. मामले के समीक्षोपरांत पाया गया कि वादी श्री प्रसाद द्वारा दिनांक-13.04.2021 को समर्पित अपने कारणपृच्छा में वस्तुतः ऐसा कोई तथ्य समर्पित नहीं किया गया जिससे कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की समीक्षा में आये तथ्यों का खंडन हो सके। साथ ही समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-18.12.2020 को पारित आदेश में विभागीय कार्यालय आदेश-206 दिनांक-23.07.2010 को निरस्त किया गया है एवं नये सिरे से कार्यवाई का आदेश है। इस प्रकार श्री प्रसाद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही सम्प्रति समाप्त नहीं हुई है।

7. श्री प्रसाद दिनांक-30.06.2011 को सचिवालय सहायक (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी), पर्यटन निदेशालय, राँची के पद से सेवानिवृत्त हो चुके थे। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में इसे श्री प्रसाद के सेवाकाल में प्रारम्भ की गई विभागीय कार्यवाही मानते हुए माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में श्री प्रसाद से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा एवं तदुपरांत प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 द्वारा श्री प्रेम शंकर प्रसाद, तत्कालीन सचिवालय सहायक (सहायक प्रशाखा पदाधिकारी), पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड राँची सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध निम्नांकित निर्णय लिया गया:-

- (i) पेंशन नियमावली के नियम-43(बी०) के अधीन पूर्व निर्धारित एक वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोके जाने के समतुल्य इनके पेंशन से 05% (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती आजीवन करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही के समाप्त किया जाता है।
- (ii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि मानते हुए आरक्षी उप महानिरीक्षक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र, राँची द्वारा पान (तांती), अनुसूचित जाति श्रेणी की प्रविष्टि सेवापुस्त में करने संबंधी क्षेत्रादेश संख्या-342 दिनांक-23.04.1992 को रद्द किया जाता है।
- (iii) श्री प्रसाद को अनुसूचित जाति कोटि में मानते हुए बिहार सरकार के आदेश संख्या-32 दिनांक-27.01.1993 द्वारा दिनांक-30.08.1988 के प्रभाव से कनीय प्रवर कोटि वेतनमान रू० 1640-60-2600-75-2900/- में प्रोन्नति दी गई, जिसे आरोपों के कारण बिहार सरकार के आदेश संख्या-1123 दिनांक-29.11.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया। इसी प्रकार श्री प्रसाद को बिहार सरकार के आदेश संख्या-33 दिनांक-29.01.1993 द्वारा दिनांक-30.08.1991 (दिनांक-01.03.1989 संशोधित) के प्रभाव से वरीय प्रवर कोटि वेतनमान रू० 1800-60-2280-75-3300/- में दी गई प्रोन्नति को आदेश संख्या-1082 दिनांक-07.11.2002 द्वारा रद्द कर दिया गया। पुनः बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-423 दिनांक-16.10.1993 द्वारा श्री प्रसाद को प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर दी गई प्रोन्नति को आरोपों के कारण अधिसूचना संख्या-895 दिनांक-26.08.2000 द्वारा रद्द कर दिया गया।

ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में गलत प्रोन्नति के फलस्वरूप प्राप्त वेतन/राशि को देय मासिक वेतन से आसान किस्तों में वसूली का आदेश संबंधित विभाग को दिया जाता है।

8. विभागीय आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 के विरुद्ध श्री प्रसाद द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या W.P.(S) No. 3342/2021-प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-20.02.2025 को आदेश पारित किया गया, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

".....34. In view of aforesaid cumulative facts and circumstances, impugned order dated 29.04.2021 (Annexure 20A) is quashed and Respondents are directed to restore the benefits of Junior Selection Grade, Senior Selection Grade and Promotion to the post of Section Officer and, if any amount has been recovered/withheld, the same shall also be released to Petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order. If aforesaid amount is not paid to petitioner within a period of eight weeks from the date of receipt of a copy of this order, Petitioner would be entitled to simple interest @ 6% per annum from the due date of aforesaid amounts till the date of actual payment by Respondent-authorities."

9. उक्त न्यायादेश के विरुद्ध विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में LPA No. 394/2025- झारखण्ड राज्य एवं अन्य बनाम प्रेम शंकर प्रसाद दायर किया गया है, जिसमें न्यायनिर्णय प्रतीक्षारत् है।

10. श्री प्रसाद द्वारा WP (S) No.-3342/2021 के अनुपालन हेतु माननीय न्यायालय में अवमाननावाद संख्या Cont (C) No. 1168/2025- प्रेम शंकर प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया है। अवमाननावाद में विभाग की ओर से LPA दायर होने एवं LPA की सुनवाई तक अवमाननावाद स्थागित रखे जाने हेतु कारण पृच्छा दायर किया गया है।

दिनांक-20.03.2026 को अवमाननावाद में सुनवाई के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा LPA में अंतिम फलाफल के आदेश पर अनुपालन अथवा स्थगन आदेश उपस्थापित किये जाने आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक-30.04.2026 को निर्धारित है।

11. अतएव समीक्षोपरांत वाद संख्या WP(S) No.- 3342/2021 एवं Cont(C) No. 1168/2025 में पारित आदेश के अनुपालन में,

- (i) श्री प्रेम शंकर प्रसाद, सेवानिवृत्त सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, पर्यटन निदेशालय, राँची के विरुद्ध विभागीय आदेश संख्या-2378 दिनांक-29.04.2021 द्वारा अधिरोपित दण्ड आदेश को निरस्त किया जाता है।
- (ii) दण्ड विलोपन के फलस्वरूप श्री प्रसाद को सभी देय लाभ की स्वीकृति एवं अनुमान्य ब्याज राशि की स्वीकृति का निर्णय लिया जाता है।
- (iii) यह आदेश विभाग की ओर से माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर LPA No. 394/2025 के अंतिम फलाफल से प्रभावित होगा।

12. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ब्रज माधव,
सरकार के उप सचिव।
